भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4345** जिसका उत्तर

गुरूवार, 19 **मार्च**, 2020/29 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है

अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा कार्गो की आवाजाही

4345. श्री दिलीप शइकीयाः

श्रीमती क्वीन ओझाः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कार्गो आवाजाही और पोत परिवहन प्रयोजन हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): जी, हां। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को रेल और सड़क परिवहन की तुलना में किफायती, पर्यावरण अनुकूल तथा अनुपूरक परिवहन माध्यम के रूप में बढ़ावा देने के लिए, 111 अंतर्देशीय जलमार्गों (पहले से घोषित 5 राष्ट्रीय जलमार्गों सहित) को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 'राष्ट्रीय जलमार्ग' घोषित किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों पर शुरू किए गए कार्यों का ब्योरा **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

(i) राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-1 (इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली), रा.ज.-2 (धुबरी से सादिया तक ब्रह्मपुत्र नदी), रा.ज.-3 (उद्योगमंडल और चंपाकारा नहरों के साथ कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिम तट नहर) फेयरवे नौचालन सहायक सुविधाओं, जेट्टियों और टर्मिनलों को कार्गो को लादने और उतारने के लिए यांत्रीकृत उपकरण संभलाई सुविधाओं के साथ पहले ही विकसित कर दिया गया है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग प्रचालनरत हैं और इनमें जलयानों की आवाजाही हो रही है। इसके अतिरिक्त, रा.ज.-10 (अम्बा नदी), रा.ज.-68 (मांडोवी नदी), रा.ज.-73 (नर्मदा नदी), रा.ज.-83 (राजपुरी क्रीक), रा.ज.-85 (रेवादंडा क्रीक - कुंडालिका नदी प्रणाली), रा.ज.-91 (शास्त्री नदी - जयगढ़ क्रीक प्रणाली), रा.ज.-97 (सुंदरबन जलमार्ग), रा.ज.-100 (तापी नदी) तथा रा.ज.-111 (जुआरी नदी) भी प्रचालनरत हैं।

(ii) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से रा.ज.-1 के हल्दिया-वाराणसी जलखंड पर नौचालन क्षमता आवर्धन के लिए 5369.18 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) कार्यान्वित कर रहा है। वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने के बाद तीन वर्षों की समयावधि में 1800 करोड़ रु. (लगभग) की परियोजनाएं वास्तविक रूप से शुरू हो गई हैं।

(iii) कृष्णा नदी के विजयवाड़ा-मुक्तयाला जलखंड (रा.ज.-4 के भाग) पर 96 करोड़ रु. की लागत से फेयरवे विकास कार्य शुरू हो गये हैं।

(iv) तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के परिणाम के आधार पर तकनीकी रूप से व्यवहार्य राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित नौचालन और पोत परिवहन के लिए तकनीकी मध्यवर्ती कार्यों की योजना बनाई गई है। नये राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए अब तक पूरे हो चुके डीपीआर के अनुसार, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाये गये हैं और 8 व्यवहार्य राष्ट्रीय जलमार्गों, नामत: रा.ज.-9, रा.ज.-16, रा.ज.-27, रा.ज.-37, रा.ज.-68, रा.ज.-86, रा.ज.-97, रा.ज.-111 पर विकासात्मक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।

*****